परिशिष्ट - "अ"
[18/7/2024]
प्रश्न क्र. 3297

मध्यप्रदेश शासन [क्र. 3297]

राजस्व विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय-462004

//आदेश //

भोपाल , दिनांक 01/07/2024

क्रमांक 552 /1342302/2023/सात/5, राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक् दिनांक 29/09/2015 में लिये गये निर्णय अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 29/10/2015 के सरल क्रमांक 73 पर श्री सनिपाल शाह परतेती को राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नत किया गया था।

2/ आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर के पत्र दिनांक 20/12/2023 अनुसार राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-02/2015/सात/4बी दिनांक 29.10.2015 के द्वारा पदोन्नति/ वरिष्ठता न मिलने के संबंध में श्री ललनसिंह पिता श्री हरिभजन सिंह राजस्व निरीक्षक जिला रीवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.No. 7545/2014 दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2022 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :-

"Under these circumstances, the petitioner cannot be denied promotion notionally over and above the private respondents, therefore, the petition is allowed and the respondents No.1 to 3 are directed to place the name of the petitioner over and above the private respondents No.4 to 6 in the merit list. The merit list be re-prepared and as the petitioner was retired, the post retiral claims of the petitioner may be redone and arrears, if any, be extended to the petitioner. The entire exercise be completed within a period of three months' from the date of receipt of certified copy of this order."

3/ माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश दिनांक 02/05/2023 द्वारा श्री ललन सिंह राजस्व निरीक्षक की No work No Pay के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण कर दिनांक 01.04.2013 की स्थिति दर्शाने वाली राजस्व निरीक्षक संवर्ग की पदक्रम सूची में श्री ललन सिंह की वरिष्ठता स0क्र0 988 पर अंकित श्री शनिशाह परतेती के नीचे एवं स0 क्रमांक 989 पर अंकित श्री धीरज परिहार के ऊपर स० क्रमांक 988- ए पर वरिष्ठता निर्धारित की गई है।

निरंतर....2

4/ आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर के प्रस्ताव दिनांक 20/12/2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2022 के अनुक्रम में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08/01/2024 में लिये गये निर्णय अनुसार श्री ललन सिंह राजस्व निरीक्षक को दिनांक 29/09/2015 से राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाये गये ।

अतएव राज्य शासन एतद द्वारा श्री ललन सिंह, राजस्व निरीक्षक को दिनांक 29/10/2015 से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के देय वेतनमान पी.बी-2 रूपये 9300-34800+3600 ग्रेड-पे पर "कार्य नही वेतन नही" के सिद्धांत के आधार पर वेतन एरियस इत्यादि देय नही होंगे । प्रोफार्मा पदोन्नति करते हुए जिला रीवा पदस्थ किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
01/7/24
(कलिस्ता कुजूर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0 क्रमांक 553/1342302/2023/सात/ 5
भोपाल, दिनांक 01/07/2024

प्रतिलिपि:-

1/ विशेष सहायक माननीय मंत्री जी राजस्व विभाग ।

2/ प्रमुख सचिव / अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ।

3/ आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर।

4/ कलेक्टर जिला सतना/ रीवा म0प्र0 ।

5/ श्री ललन सिंह राजस्व निरीक्षक /प्रभारी नायब तहसीलदार जिला सतना की ओर सूचनार्थ

6/ गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/7/24
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग